

फा.सं.08/01/2022-गो-1/2

कर्मचारी चयन आयोग

दिल्ली पुलिस और के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक परीक्षा, 2022 - पेपर- II में उपस्थित होने हेतु पीईटी/पीएसटी में अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में।

आयोग द्वारा दिनांक 27.12.2022 को दिल्ली पुलिस और के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक परीक्षा, 2022 के पेपर- I का परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें 68,364 अभ्यर्थियों (4,419 महिला और 63,945 पुरुष) को विभिन्न सूचियों में अर्हताप्राप्त घोषित किया गया था।

2. इसके बाद, के.स.पु.ब. द्वारा इन अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों का शारीरिक क्षमता परीक्षण (पीईटी) / शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) किया गया। पीईटी / पीएसटी के परिणाम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

	अभ्यर्थियों की संख्या
कुल	68364
अनुपस्थित	32616
अस्थायी रूप से अनफिट	03
अर्हता प्राप्त न करने वाले	20005
अर्हताप्राप्त	15740

3. पीईटी/पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अब उपरोक्त परीक्षा के पेपर- II में उपस्थित होने के पात्र हैं। इन अभ्यर्थियों का विवरण इस प्रकार है :

(i) महिला

	आ.क.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	कुल
उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या	205	174	115	328*	293	1115**

* इसमें 50 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए अ.पि.व. हैं और के.स.पु.ब. के लिए अना. हैं तथा 06 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए अ.पि.व. हैं और के.स.पु.ब. के लिए आ.क.व. हैं।

** 03 अस्थाई रूप से अनफिट महिला (2-अ.जा. और 1- अ.ज.जा.) अभ्यर्थियों सहित।

(ii) पुरुष

	आ.क.व	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	कुल	भू.पू.सै.
उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या	2483	2025	1441	5231*	3448	14628	2348

* इसमें 452 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए अ.पि.व. हैं और के.स.पु.ब. के लिए अना. हैं तथा 91 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए अ.पि.व. हैं और के.स.पु.ब. के लिए आ.क.व. हैं।

4. निम्नलिखित 17 अनुक्रमांकों का परिणाम अतिरिक्त सत्यापन हेतु रोका गया है:

2002006458	2201043723	2201047781	2201050581	2201052727
2201070409	5105001129	5105004868	5501000950	5701000057
7001000582	7204000887	7204001260	7204002969	7208002637
7208003820	7208004182			

5. पेपर- II का कार्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रमाणपत्र नियत समय पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उनके प्रवेश प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में आयोग (मुख्यालय) / आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

अवर सचिव (गो.-1/2)

24.03.2023